बेलग्रेड, सर्बिया में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में 'अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सुदृढ़ीकरण: संसद की भूमिका और तंत्र तथा क्षेत्रीय सहयोग का योगदान'

------

13 से 17 अक्टूबर 2019

बेलग्रेड, सर्बिया

मनुष्य और प्रकृति एक-दूसरे के पूरक हैं। इसलिए दोनों एक-दूसरे पर निर्भर भी हैं। भारत के विद्वानों और ऋषियों ने हज़ारों वर्ष पहले ही मनुष्य और प्रकृति के इस आपसी सम्बन्ध और निर्भरता को समझ लिया था। अतः, हमारे भारतवर्ष में मनुष्य को प्रकृति से अलग नहीं माना गया। बल्कि, मनुष्य को प्रकृति का ही एक अभिन्न अंग माना गया है। इसलिए हमारी संस्कृति में यह बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए यह जरूरी है कि प्रकृति को भी स्वस्थ और समृद्ध रखा जाए। इसी विचार से हमारा जीवन प्रेरित रहा है।

इसी विश्वास के आधार पर हज़ारों वर्षों से हमने प्रकृति को पूजनीय माना है और श्रद्धा और भक्ति के जरिये प्रकृति का संरक्षण भी किया है।

मुझे इस सम्मानित सभा में “अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का सुदृढ़ीकरण: संसद की भूमिका और तन्त्र तथा क्षेत्रीय सहयोग का योगदान” विषय पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सभा में होने वाली चर्चा से विश्व के सभी देश यह बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आज के युग में विश्व के सभी देश एक -दूसरे पर निर्भर हैं। हम सब यह भी समझ पाएंगे कि पूरे विश्व की समृद्धि और शांति तभी सम्भव हो सकती है, जब समतापूर्ण और समावेशी आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सतत् विकास पर भी ध्यान दिया जाए।

इस संदर्भ में, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए निरन्तर प्रयास करे। भारत यह भी कोशिश करे कि राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखा जाए। इसके अलावा संविधान ने भारतीय राज्य को यह भी निर्देश दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों और दायित्वों का सम्मान व पालन करे। इसी अनुच्छेद में हमारे संविधान ने विश्व में शांति बनाये रखने के लिए यह कहा है कि भारत को यह कोशिश करनी चाहिए कि मध्यस्थता द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटान किया जा सके।

न्यायसंगत, शांतिपूर्ण तथा समृद्ध विश्व के लिए एक संतुलित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का होना अनिवार्य है। निःसंदेह इसके लिए, ऐसे मानदंड और मानक तैयार किए जाने की आवश्यकता है, जो सम्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य हों।

आधुनिक समाजों और राष्ट्रों की एक सबसे बड़ी विशेषता है- कानून का शासन। मित्रो, ध्यान से देखा जाए तो, कानून का शासन, दरअसल, सह-अस्तित्व का ही एक तरीका है। यह सभी व्यक्तियों और राज्यों के प्रति समानता की भावना को सम्मान देता है। न्याय और निष्पक्षता की भावना पर आधारित सिद्धांतों से टकराव और संघर्षों में कमी आती है। और यदि ऐसे कानूनों को समुचित रूप से लागू किया जाए तो आपसी विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

आपसी निर्भरता को समझ कर ही आज विश्व के सभी राष्ट्र एक मंच पर आने के लिए इच्छुक हैं। इसी कारण वे आपसी रिश्तों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कानून के शासन को महत्व दे रहे हैं। व्यापार, निवेश और बौद्धिक संपदा, परिवहन और संचार; समुद्र एवं महासागर जैसे विश्व के साझे संसाधनों के मामलों में इस सिद्धांत को अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आदि जैसे व्यापक क्षेत्रों में भी कानून के शासन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस समय हम राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त समुद्री जैव विविधता (BDNJ); वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन (GGIM); विधिक रूप से स्वचालित शस्त्रों, पर्यावरण संरक्षण और साइबर सुरक्षा, जैसे उभरते जटिल क्षेत्रों से संबंधित मानदंड तैयार करने में भी लगे हुए हैं।

किन्तु, खेद की बात है कि कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं, जिनके सम्बंध में हम गंभीर और सामूहिक रूप से क्षति पहुंचाने वाले मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून का शासन विकसित नहीं कर पाए हैं। आतंकवाद ऐसा ही एक गंभीर चिंता का विषय है। आज हम सभी किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए आज आतंकवाद के मामले में प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

लेकिन, संकीर्ण भूराजनैतिक हितों के कारण इस मुद्दे पर अभी तक प्रभावी वैश्विक कानून नहीं बनाया जा सका है। विडम्बना यह है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रभावी कानून बनाने की दिशा में होने वाली प्रगति को रोकने के लिए कई देश विभिन्न अप्रासंगिक कानूनी विचारधाराओं का सहारा लेते रहते हैं।

भारत विधि के शासन पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके साथ ही, भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है। हमारे देश में स्वतंत्र और सक्रिय मीडिया तथा सिविल समाज के साथ-साथ स्वतंत्र न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा चुनाव आधारित लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपरा का सम्मान किया जाता है। और ये बातें ही हमारे देश में विधि के शासन का आधार हैं। भारत का विश्वास है कि आज परस्पर निर्भर विश्व में हम ऐसी अनेक साझा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनका समाधान हम सहकारी और प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग के जरिये ही कर सकते हैं।

विदेश नीति, सामान्य रूप से कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में आती है। अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर करना राज्य की संप्रभुता का एक भाग है, जिसका पालन सरकार करती है। फिर भी, भारत जैसे संघीय राजव्यवस्था वाले देश में अन्तर्राष्ट्रीय संधियों से जुड़े दायित्व अपने आप ही कानूनों का हिस्सा नहीं बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में संसद की भूमिका और जिम्मेदारी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब तक संसद प्रभावी कानून नहीं बनाती है तब तक अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, अभिसमयों और समझौतों से जुड़े

दायित्वों को कानून की किताबों में सम्मिलित नहीं किया जाता। हालांकि, राष्ट्र की ओर से सरकार ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तो करती है ,लेकिन, उन दायित्वों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी तो संसद की होती है।

संसद का यह दायित्व है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कानून बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाए। इसके अलावा उन प्रतिबद्धताओं, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय तथा अपने नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए बजट स्वीकृत करने में भी संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक गंभीर भूमिका होती है। इस प्रकार, संसद प्राथमिक स्तर पर विदेश नीति के क्षेत्र में कार्य करती है, जिसके परिणामस्वरूप संसदीय कूटनीति विकसित होती है।

हाल के समय में संसदीय कूटनीति काफी चर्चा में रही है। वर्तमान परिवेश में इस संकल्पना का बहुत महत्व है। इससे संसद को जनता के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने और इसमें जन-सहमति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अंतर-संसदीय संघ संसदीय कूटनीति को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

संसदीय कूटनीति भाईचारे और आपसी समझ को बढ़ावा देकर आपसी संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में कानून के शासन और बहुपक्षीय राजनीति की स्थापना के लिए आवश्यक है कि वैश्विक शासन आज की वास्तविकताओं को ध्यान में रखे। आज की वास्तविकता यह है कि सबको निजी अथवा सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गयी है। आज आम जनता के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आम लोगों की भागीदारी होती है।

आज बिना किसी भेदभाव के कानूनों, नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। आज विवादों का समाधान खुली चर्चा एवं न्याय के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा आज राष्ट्रीय और स्थानीय संस्थाएं समाज को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेह होती हैं। अतः, आज की इन सभी वास्तविकताओं को हमें ध्यान में रखना होगा।

यही कारण है कि आज के समय में, एक संस्था के रूप में संसद की अपने सदस्यों के माध्यम से पूरी जनता तक पहुंच होनी बहुत महत्वपूर्ण है। समाज के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में, जन प्रतिनिधियों के पास यह अच्छा मौका होता है कि वे लगातार जनता के साथ संपर्क में रहें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा दें। इसके अलावा वे संसदीय कार्यकलापों एवं कार्यपालिका की पहलों के बारे में जनता को जानकारी देकर जनता के संपर्क में रह सकते हैं।

सांसदगण, जनता और सरकार के बीच संपर्क का एक महत्वपूर्ण पुल हैं। लोगों के साथ आम भाषा में संपर्क करने से लोगों का अपने प्रतिनिधियों की योग्यता में विश्वास उत्पन्न होता है। इसके साथ-साथ निर्वाचित निकायों तथा शासी संस्थाओं के प्रति भी लोगों में आस्था जागृत होती है। इन सबके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विकास के एजेंडे के लिए एक साझी प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलता है।

इस संबंध में, सांसंदों के वैश्विक संगठन के रूप में अन्तर-संसदीय संघ, विश्व के सामने मौजूद मुख्य मुद्दों के संबंध में 'विश्वव्यापी संसदीय चर्चा हेतु केन्द्र बिन्दु' बन गया है। अंतर-संसदीय संघ देशों के बीच 'शांति और सहयोग' तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और मजबूती के लिए निरन्तर काम कर रही है।

अन्तर-संसदीय संघ की सभाओं में व्यापक विचार-विमर्श के लिए उठाए गए मुद्दों के जरिए सांसदगण बहुत कुछ सीखते हैं। विभिन्न देशों की संसद अन्तर-संसदीय संघ द्वारा तय किए गए एजेंडे का अनुपालन करते हुए एक सुविचारित जनमत तैयार करती हैं।

अन्तर-संसदीय संघ एक क्षेत्र के सांसदों को एक मंच पर लाकर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है।

इसकी पृष्ठभूमि और कार्य को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि अंतर-संसदीय संघ 21वीं शताब्दी की उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए लोकतंत्र, सुशासन, शांति और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखेगा।